निर्णय ब इजलास प्रकाश राजपुरोहित आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 202/2022 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

न्यू पाथ डवलपर्स एल.एल.पी पंजीकृत कार्यालय 508 ओके प्लस टॉवर, मानसरोवर जयपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी।

--------प्रार्थी

जिला कलक्टर जयपुर जिला

बनाम

1. अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय जयपुर।
2. मनोज कुमार शर्मा पुत्र श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी सांगानेर, जिला जयपुर, हाल निवासी 22, कैलाशपुरी, आमेर रोड, जयपुर।

--- कन्टेस्ट अप्रार्थीगण

3. कुंज बिहारी पुत्र बाछूराम जाति छीपा निवासी जैम विहार कॉलोनी, खादी ग्रामोद्योग रोड, कस्बा सांगानेर, जिला जयपुर।
4. फूली देवी पत्नी जगमोहन जाति यादव निवासी धोलीवालो की ढाणी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
5. राधेश्याम पुत्र गोपीचन्द जाति यादव निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
6. रियासत इन्फ्रा डवलपर्स प्राईवेट लिमिटेड कार्यालय 709 ओके प्लस टॉवर, सेक्टर 7, मानसरोवर, जयपुर।
7. लाली देवी पत्नी विष्णु उर्फ देवीनारायण निवासी धोलीवालो की ढाणी, ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
8. सीता देवी पत्नी सूरज यादव जाति यादव, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
9. सीताराम पुत्र गोपीचन्द जाति यादव, निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
10. रियासत इन्फ्रा डवलपर्स एल.एल.पी रजिस्टर्ड कार्यालय 603 ओके प्लस टॉवर, केवी 5 के पास मानसरोवर, जयपुर।
11. जयपुर विकास प्राधिकरण जयपुर जरिये सचिव पता जवाहर लाल नेहरू मार्ग जयपुर।
12. उप पंजीयक सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
13. ओमप्रकाश यादव पुत्र गणेशनारायण यादव जाति यादव निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
14. गोपाल पुत्र लल्ला जाति बारागांव निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।
15. रामप्रसाद पुत्र लल्ला निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

जिला कलक्टर
जयपुर

16. विनोद कुमार शर्मा पुत्र रोडूराम शर्मा जाति ब्राह्मण, निवासी ग्राम बावडीसोडा, तहसील मालपुरा, जिला टोंक।

17. श्री महावीर बिल्डकॉल प्राईवेट लिमिटेड रजिस्टर्ड ऑफिस 12 रघुवीर विहार दुर्गापुरा जयपुर।

18. श्री महावीर बिल्डकॉल प्राईवेट लिमिटेड जरिये डायरेक्टर राधेश्याम शर्मा पुत्र श्री गौरीलाल शर्मा जाति ब्राह्मण निवासी 379, सचिवालय नगर, सीतापुरा, टोंक रोड, सांगानेर, जयपुर।

19. सीताराम पुत्र लल्ला जाति बारागांव निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

20. हनुमान पुत्र लल्ला जाति बारागांव निवासी ग्राम गोविन्दपुरा, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

21. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर।

———अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र बाबत अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने के कारण पत्रावली संख्या 9/2022 ब उनवानी मनोज कुमार बनाम सरकार व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरित किये जाने बाबत्।

उपस्थित

1. श्री रामकिशोर रोनालिया अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से।
2. श्री राज कुमार शर्मा अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से।

निर्णय **दिनांक 29.09.2022**

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के समक्ष प्रकरण संख्या 09/2022 ब उनवानी मनोज कुमार बनाम सरकार व अन्य दर्ज होकर विचाराधीन है। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय के पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से प्रार्थी ने उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने हेतु यह प्रार्थना पत्र पेश किया है।
2. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से वकील श्री राजकुमार शर्मा उपस्थित है।
3. बहस उभय पक्ष सुनी गई ।

जिला कलक्टर
जयपुर

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने दौराने बहस मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय) जयपुर के पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने तथा लिंक पीठासीन अधिकारी को प्रकरण में अंतिम निर्णय पारित करने का वैधानिक अधिकार कानूनन नहीं होने से प्रकरण में अंतिम बहस नहीं हो रही हैं। प्रार्थी रेफरेन्स अधीन कृषि भूमि का रिकार्डेड खातेदार काश्तकार हैं। जिसे विवादित कृषि भूमि को बजरिये पंजीकृत विक्रय पत्र क्रय कर भौतिक कब्जा प्राप्त किया है व बोनाफाईड परचेजर इन टाईटल हैं। प्रकरण अर्जेन्ट नेचर का हैं। अतिरिक्त कलक्टर द्वितीय का पद रिक्त होने के कारण प्रकरण में अनावश्यक विलम्ब हो रहा हैं। प्रकरण के शीघ्र निस्तारण हेतु न्यायहित में उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम अधिकारी के समक्ष मुन्तकिल किया जाकर शीघ्र निस्तारण किया जाना न्यायहित में परम आवश्यक हैं। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर उक्त प्रकरण को किसी अन्य सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने के आदेश फरमावें।

5. अप्रार्थी संख्या 2 के अधिवक्ता भी उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में स्थानान्तरित किये पर सहमत है।

6. उभय पक्ष के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. मुन्तकिल प्रार्थना पत्र दिनांक 17.10.2022 मे नियत है, किन्तु प्रार्थी ने शीध्र सुनवाई प्रार्थना पत्र पेश किया है तथा अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता भी उपस्थित हैं। उभय पक्ष सुना गया । न्यायहित में शीघ्र सुनवाई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में प्रार्थी से लिंक पीठासीन अधिकारी पर कोई आरोप नहीं लगाया है। अतिरिक्त कलक्टर जयपुर द्वितीय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी का अन्यत्र स्थानान्तरण हो जाने से वर्तमान में पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त है। प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता पीठासीन अधिकारी का पद रिक्त होने से उक्त प्रकरण को अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ में स्थानान्तरण कराना चाहते है। न्यायहित में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रकरण अतिरिक्त कलक्टर जयपुर चतुर्थ में स्थानान्तरित किया जाना न्याय संगत है। फलस्वरूप मुन्तकिल प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

8. न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय में विचाराधीन प्रकरण संख्या 9/2022 व उनवानी मनोज कुमार बनाम सरकार व अन्य को अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर चतुर्थ में स्थानान्तरित किया जाता है। पक्षकारान अग्रिम सुनवाई हेतु दिनांक 11.10.2022 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ में उपस्थित हो।

9. अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करना सुनिश्चित करें।

10. निर्णय की प्रति अतिरिक्त जिला कलक्टर जयपुर द्वितीय व अतिरिक्त जिला कलक्टर चतुर्थ को प्रेषित हो। पत्रावली दर्ज नम्बर से कम हो कर फैसल शुमार हो।

निर्णय आज दिनांक **29.09.2022** को सरे इजलास सुनाया गया।

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर
जयपुर